Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पुलिस थाना नादौती जिला करौली में सहायक उप निरीक्षक 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर शहर–द्वितिय इकाई द्वारा आज नादौती जिला करौली में कार्यवाही करते हुये निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर शहर–द्वितिय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि थाना नादौती में दर्ज चोरी के प्रकरण में उसे मुलजिम नही बनाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा 55 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर शहर–द्वितिय इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती प्रीति चेंची पुलिस निरीक्षक, श्री भंवरसिंह पुलिस निरीक्षक** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये निहाल सिंह पुत्र कन्हैयाराम गुर्जर निवासी नौरूंगाबाद तहसील श्री महावीर जी जिला करौली, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली को परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।